

उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप)
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधीन)

CEDMAP

**Centre for Entrepreneurship Development
Madhya Pradesh (CEDMAP)**
(Under Department of MSME, Govt. of Madhya Pradesh)

AN ISO 9001-2015 ORGANISATION

क्रमांक/उ. वि. के. म. प्र./भोपाल/ 2023-24/504

दिनांक: 31/ 01/2024

प्रति,


समस्त विभाग
मध्य प्रदेश शासन

विषय:-आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य आईटी कर्मियों को "साइबर सुरक्षा प्रबंधन" पर ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स आयोजन करने विषयक।

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा - निर्देश MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY, Government of India द्वारा September 2022 में जारी "Cyber Security Guidelines for Government Employees", गृह मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा दिनांक 2022/09/08 और 2022/03/30 को जारी दिशा निर्देश (D.O. No. 22003/15/2019-I4C), एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी, 2013 के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों सहित संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा जागरूकता, कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करने एवं बनाये रखने, आईटी संसाधनों के सुरक्षित उपयोग, सूचना की सुरक्षा तथा कार्यस्थल पर साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः सभी अलग अलग विभागों में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर, अन्य आई टी कर्मी सहित समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है।

CEDMAP द्वारा अलग अलग विभागों में उपलब्ध कराए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रस्तावित "साइबर सुरक्षा प्रबंधन" कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की संचालन, क्रियान्वयन योजना एवं अन्य संबंधित जानकारी संलग्न है। आवेदक cedmapindia.mpgov.in वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं तथा तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नंबर 9343649161, 9343649168, 9343649163, 8770303862 पर संपर्क कर सकते हैं।

आपके विभाग /कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कम्प्यूटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एवं अन्य आई टी कर्मी जो कंप्यूटर संसाधनों पर कार्य करते हैं; उक्त प्रशिक्षण 8 दिवसीय है जो प्रत्येक दिवस 2 घंटे की अवधि का होगा। अतः उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने, प्रशिक्षण के दिवसों में दो घंटे की अवधि को इनकी कर्तव्य अवधि मान्य किया जाए एवं इस हेतु इनके मानदेय से कोई कटौती नहीं किया जाए संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।


आर के शुक्ला
पी एम यू हेड
सेडमैप भोपाल

प्रतिलिपि: समस्त आउटसोर्स कर्मचारी

2. कार्यकारी संचालक, सेडमैप भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।



CEDMAP

संबंधित नियम एवं प्रावधान

भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा-निर्देश
MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY,
Government of India द्वारा September 2022 में जारी Cyber Security Guidelines for Government Employee, गृह मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा दिनांक 08/09/2022 और 30/03/2022 को जारी दिशा निर्देश (D-O- No. 22003/15/2019-14C), एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी, 2013 के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत समस्त शासकीय कर्मचारियों सहित सविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा पर जागरूकता तथा प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

फायदे

- ई-रिकॉर्ड व डाटा चोरी की घटनाओं को रोकना।
- कंप्यूटर व इन्टरनेट का सुरक्षित उपयोग।
- कंप्यूटर संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना।
- डिजिटल सिग्नेचर एवं कार्यालयीन ईमेल आई डी के उपयोग की गंभीरता को समझना व नियमों को जानना।
- तकनीकी एवं आई टी कार्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारियों, नीति, आई टी नियम एवं कानून की जानकारी होगी।
- साइबर क्राइम एवं ऑनलाइन- वित्तीय साइबर फ्रॉड से सुरक्षा
- सुरक्षित डिजिटल ट्रॉजेंशन एवं एप्लीकेशन का उपयोग

विषय वस्तु

- साइबर स्पेस, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध एवं प्रकार तथा साइबर कानून
- कार्यस्थल पर साइबर अपराध
- ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सुरक्षा उपाय और इसकी रोकथाम
- वित्तीय साइबर फ्रॉड की शिकायत एवं क्षतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया
- ई-गवर्नेंस एवं शासकीय कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट
- शासकीय कंप्यूटर एवं कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित कानून
- साइबर सुरक्षा: कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना
- इलेक्ट्रॉनिक आहरण एवं सवितरण प्रक्रिया: संबंधित जोखिम एवं सुरक्षा उपाय
- दैनिक जीवन में साइबर स्वच्छता की अवधारणा और उपयोग
- डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन एवं ऑनलाइन सुरक्षा
- सुरक्षित बैंकिंग एवं डिजिटल एप्लीकेशन

साइबर सुरक्षा प्रबंधन

ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स

कार्यक्रम कोड-CEDCLP103

CEDMAP आदेश क्रमांक /उ. वि .के .म .प्र . / भोपाल 2023-24 /504
दिनांक 31/01/2024

कम्प्यूटर / डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी कर्मियों सहित
समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए

कार्यक्रम अवधि : 16 घंटे एवं 8 दिन

प्रतिदिन : 02 घंटे (व्लास : 45 मिनट, प्रश्न उत्तर: 15 मिनट)

मोड : ऑनलाइन लाइव व्लास



विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण पैनल



इंजी. यशदीप चतुर्वेदी
साइबर लॉ एक्सपर्ट
(एम.टेक., बी.ई., पी.जी.डी.
इन साइबर लॉ)

और अन्य अधिकृत एवं संबद्ध प्रशिक्षक/विशेषज्ञ

प्रशिक्षण के उद्देश्य

- निकाय/ कार्यालय में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्थापित करना।
- कार्यस्थल पर साइबर क्राइम की घटनाओं की रोकथाम।
- शासकीय कंप्यूटर संसाधनों एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता
- संबंधित जिम्मेदारियों, सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधान समझना।

कार्यक्रम आयोजन की जानकारी

- प्रशिक्षणार्थी रजिस्ट्रेशन: प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रेशन CEDMAP के निर्धारित एवं अधिकृत वेबपोर्टल <https://cedmapindia.mp.gov.in/> पर किया जाएगा।
- वित्तीय निहितार्थ: प्रशिक्षण शुल्क कुल रु. 2985/- (समस्त कर सहित) प्रति सदस्य होगी। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कर्मचारी द्वारा सीधे CEDMAP के निर्धारित बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय होगी। CEDMAP के खाते में भुगतान प्राप्त होने पर ही पंजीकरण सफल माना जाएगा।
- परीक्षा एवं मूल्यांकन: प्रशिक्षण उपरान्त एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए एक अभ्यास पुस्तिका हिंदी में तैयार की गयी है। परीक्षा अभ्यास पुस्तिका पर आधारित रहेगी। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण का पुनः अध्ययन/अभ्यास व विभाग के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना होगा। सभी सदस्यों को डिजिटली हस्ताक्षरित ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण सदस्यों पूर्णतः प्रमाण पत्र और अन्य को भागीदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- कोर्स की विषय वस्तु पर आधारित अध्ययन सामग्री हिंदी उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रशिक्षण के बाद नियमित जागरूकता : 06 माह तक नि-शुल्क सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान एवं सेवाएँ तथा साइबर जागरूकता विषय एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु पर वीडियो लेक्चर ऑनलाइन अकाउंट एवं मोबाइल पर में उपलब्ध कराये जाएंगे।

Website : <https://www.cedmapindia.gov.in>

Bank Account Details : CEDMAP,

Central Bank of India, A/c. 3226335156, IFSC CODE - CBIN0283312

Scan for
Registration



Implementing Agency



WHEN TRUTH & JUSTICE CALLS

प्रशिक्षण आयोजन कार्य योजना एवं संबंधित दिशा निर्देश:-

1. "CEDCLP103: CYBER SECURITY MANAGEMENT " एक ई-लर्निंग प्रशिक्षण कोर्स है। प्रशिक्षण में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर कार्य करने वाले कम्प्युटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर समस्त कर्मचारी भाग ले सकेंगे।
2. कोर्स की समयावधि 16 घंटे की होगी। प्रतिदिन दो घंटे प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
3. कोर्स में कुल 16 लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। लेक्चर की अवधि 60 मिनट होगी।
4. प्रशिक्षण में 45:00 मिनट क्लास तथा 15 मिनट प्रश्न-उत्तर सत्र रहेगा।
5. पंजीयन के पश्चात प्रशिक्षण की समय सारणी तैयार कर भाग लेने वाले कर्मचारियों को दी जायेगी।
6. प्रशिक्षणार्थी रजिस्ट्रेशन: प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रेशन CEDMAP के निर्धारित एवं अधिकृत वेबपोर्टल <https://cedmapindia.mp.gov.in/> पर किया जाएगा, प्रशिक्षणार्थी को स्वयं ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। जिसके आधार पर ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट होगा जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी -
 - प्रोफाइल एडिट/ अपडेट
 - प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वेब - लिंक
 - प्रैक्टिस/ जागरूकता वीडियो
 - ऑनलाइन परीक्षा
 - स्टडी मटेरियल (अध्ययन सामग्री)
 - ई-सर्टिफिकेट
 - प्रशिक्षण संबंधित दिशा निर्देश, कोर्स कंटेंट एवं ऐक्टिविटी संदेश
 - पंजीयन एवं प्रशिक्षण संबंधित क्रियाओं की जानकारी प्रशिक्षणार्थी को पंजीकृत मोबाईल पर भी भेजी जाएगी।
7. प्रशिक्षण ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जायेगा। जिसमें प्रतिभागी LIVE प्रश्न पूछ सकते हैं या प्रशिक्षक से वार्तालाप कर सकते हैं। जिसके उत्तर प्रशिक्षक द्वारा क्लास के अंत में दिये जायेंगे।
8. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर CEDMAP के पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
9. परीक्षा एवं मूल्यांकन: प्रशिक्षण उपरान्त एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसके लिए एक अभ्यास पुस्तिका हिंदी में तैयार की गयी है। परीक्षा अभ्यास पुस्तिका पर आधारित रहेगी। इस



परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण का पुनः अध्ययन/ अभ्यास व विभाग के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना होगी।

परीक्षा से संबंधित नियम और निर्देश इस प्रकार हैं:-

I - परीक्षा विवरण

परीक्षा का प्रकार	: बहुविकल्पीय प्रश्न
अवधि	: 60 मिनट
प्रश्न	: 100
उत्तीर्ण अंक	: 40%
मोड	: ऑनलाइन

II- अन्य मानदंड

- परीक्षा CEDMAP द्वारा आयोजित की जायेगी।
- कोई नकारात्मक अंकन नहीं।
- उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल तीन प्रयास मिलेंगे।
- CEDMAP द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों को हिंदी में अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जायेगी।
- अंतिम परीक्षा प्रश्न अभ्यास पुस्तक पर आधारित हैं।
- परीक्षा का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा पर जागरूक करना और पाठ्यक्रम सामग्री का पुनरीक्षण और कार्यक्रम का मूल्यांकन करना है।
- परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले सदस्यों को 'पूर्णता का प्रमाण पत्र' और अन्य को 'भागीदारी का प्रमाण पत्र' दिया जाएगा।

10. कोर्स की विषय वस्तु पर आधारित अध्ययन सामग्री हिंदी उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन एवं भुगतान का सत्यापन हो जाने पर बैच गठित किया जाएगा तथा सभी पंजीकृत सदस्यों को अध्ययन सामग्री भारतीय डाक/ स्पीड पोस्ट से भेजी की जाएगी।

11. वित्तीय निहितार्थ: प्रशिक्षण शुल्क कुल रु. 2985/- (समस्त कर सहित) प्रति सदस्य होगी। प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान कर्मचारी द्वारा सीधे CEDMAP के निर्धारित बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय होगी। CEDMAP के खाते में भुगतान प्राप्त होने पर ही पंजीकरण सफल माना जाएगा।

A/c Name	A/c Number	IFSC Code	Bank
CEDMAP	3226335156	CBIN0283312	Central bank of India



12. प्रशिक्षण के बाद नियमित जागरूकता

- प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। जो 06 माह तक निःशुल्क एक्सेस किया जा सकता है।
- सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान एवं सेवाएँ तथा साइबर जागरूकता विषय एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु पर वीडियो लेक्चर ऑनलाइन अकाउंट एवं मोबाइल पर में उपलब्ध कराये जाएँगे।
- कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं डाटा सुरक्षा जैसे विषयों प्रैक्टिकल वीडियो इत्यादि अकाउंट पर प्राप्त होंगे।
- साइबर सुरक्षा, साइबर खतरों एवं ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की रोकथाम संबंधी विषयों पर केस तथा अपडेट निःशुल्क वेबपोर्टल पर ऑनलाइन अकाउंट एवं मोबाइल पर में उपलब्ध कराये जाएँगे।

